संख्या:89/2020/2113 ई-2/तेरह-2020-38/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमरोहा/बुलंदशहर/फिरोजाबाद/उन्नाव/कानपुर नगर/देवरिया/जौनपुर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 अक्टूबर, 2020

विषय:-40-नौगावां सादात(जनपद-अमरोहा), 65-बुलंदशहर(जनपद- बुलंदशहर), 95-टूण्डला (अ.जा.) (जनपद-फिरोजाबाद),162-बांगरमऊ (जनपद-उन्नाव), 218-घाटमपुर (अ.जा.) (जनपद-कानपुर नगर), 337-देवरिया (जनपद-देवरिया) एवं 367-मल्हानी (जनपद-जौनपुर) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन-2019 में मतदान तथा मतगणना के दिन शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-690/सी.ई.ओ.-2-08 /2-2019, दिनांक 05.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपनिर्वाचन-2020 हेतु मतदान दिवस दिनांक 03.11.2020 को मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि में तथा मतगणना दिवस 10.11.2020 को मद्य निषेध दिवस घोषित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्देश निर्गत कराने की अपेक्षा की गई है।

2. उक्त के संबंध में आबकारी आयुक्त, उ.प्र. की अधिसूचना सं.-5131/दस-97-बी/लाइसेंस-99-2000, निर्वाचन, दिनांक 10.09.1999 द्वारा प्रकाशित उ.प्र. आबकारी (संशोधन) नियमावली-1999 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें प्राविधान है कि यदि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य या उप निर्वाचन में हो, उस निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 08 किमी क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा, बीयर, देशी मदिरा, ताड़ी एवं भांग की समस्त लाइसेंस प्राप्त दुकानें और उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135(ग) के खण्ड-1 में यथा उपबन्धित मतदान की सामग्री के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि के दौरान बन्द रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त शासकीय अधिसूचना सं.-838 ई-2/तेरह-2010-25/2010, दिनांक 08.04.2010 द्वारा मादक वस्तुओं को कब्जे में रखे जाने की सीमा नियंत्रित रखे जाने का प्राविधान है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार उपरोक्त विधान सभा उप निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियत मतदान दिवस दिनांक 03.11.2020 को मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तथा मतगणना के दिवस दिनांक 10.11.2020 को लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से आबकारी दुकानों की बन्दी एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित/नियंत्रित करने हेतु संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं अवैध मदिरा की तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या:89/2020/2113(1) ई-2/तेरह-2020तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नयी दिल्ली।
(4) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-690/सी.ई.ओ.-2-08/2-2019, दिनांक 05.10.2020 के सम्बन्ध में।
(5) मण्डलायुक्त मुरादाबाद/ मेरठ/ आगरा/ लखनऊ/ कानपुर/ गोरखपुर/ बनारस उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में नियमानुसार मद्य निषेध दिवस घोषित करने हेतु संबंधित को भी अपने स्तर से निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
(6) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
(7) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।